



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-338

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 295104 दिनांक 03/05/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajkumar Verma S/o ROSHAN LAL BAIRWA एवं Neeraj Verma S/o ROSHAN LAL VERMA	श्रीमती अंजुल कोठारी पत्नी श्री कमल कुमार कोठारी	C95	111.11 SQ. YARD	Cooperative	SHIKSHA VIHAR	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	आवेदकगण श्री राजकुमार वर्मा एवं श्री नीरज कुमार वर्मा पुत्रान श्री रोशन लाल बैरवा द्वारा शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स. की योजना शिक्षा विहार स्कीम नम्बर 24 के भूखण्ड संख्या सी-95 क्षेत्रफल 111.11 व.ग. के लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या सी-95 क्षेत्रफल 111.11 व.ग. की लीजडीड दिनांक 08.06.2017 को श्रीमती अंजुल कोठारी पत्नी श्री कमल कुमार कोठारी के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या





## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

हकत्याग पत्र के  
श्रीमती प्रेम पत्नी  
श्री रोशन लाल के  
पति श्री रोशन  
लाल बैरवा पुत्र श्री  
कन्हैया लाल एवं  
पुत्री श्रीमती मंजू  
जोनवाल पत्नी श्री  
अविनाश कुमार  
जोनवाल द्वारा  
अपने पुत्रों/भाईयों  
के पक्ष में  
हकत्याग किया  
गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajkumar Verma S/o ROSHAN LAL BAIRWA एवं Neeraj Verma S/o ROSHAN LAL VERMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |